न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन0डी0पी0एस0एक्ट, देहरादून
पीठासीनः मनोज गर्ब्याल, उच्चतर न्यायिक सेवा

जमानत प्रार्थनापत्र संख्याः <u>1672/2022</u>

फिरोज, आयु 22 वर्ष, पुत्र श्री मेहरबान, निवासी– ग्राम मानक मऊ, थाना कुतुबशेर, जिला सहारनपुर उ0प्र0।

बनाम

राज्य

धाराः <u>8/21</u> एन0डी0पी0एस0 एक्ट
मु0अ0सं0: 276/2022
<u>थाना–नेहरूकालोनी, देहरादून</u>

अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता– सुश्री लता राना

अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी– श्री मनोज शर्मा

<u>12.10.2022</u>

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त फिरोज के द्वारा थाना नेहरूकालोनी, देहरादून के मुकदमा अपराध संख्या 276/2022, अन्तर्गत धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु दिया गया है।

2. अभियुक्त का कथन है कि उससे झूठी बरामदगी दर्शाकर इस मामले में झूठा फंसाया गया है, वह निर्दोष है, उससे कोई नशीले पदार्थ की बरामदगी नही हुई है। कथित बरामदगी के समय धारा 50 एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानो का अनुपालन नही किया गया है। जनता के किसी स्वतन्त्र साक्षी को सम्मिलित नही किया गया है। अभियुक्त से कोई कथित स्मैक उसके व्यक्तिगत कब्जे से बरामद नही हुई है। अभियुक्त दिनांक 16.08.2022 से न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। अतः अभियुक्त को जमानत पर रिहा कर दिया जाये।

3. जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में सुहेल जो कि अभियुक्त का पैरोकार है, का शपथपत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इस जमानत प्रार्थनापत्र के अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र न किसी न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय या माननीय उच्चतम न्यायालय में लम्बित है न ही निरस्त हुआ है।

4. अभियोजन के द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए थाना नेहरूकालोनी की लिखित आख्या प्रस्तुत की गयी, जिसमें कहा गया है कि अभियुक्त के कब्जे से 6.6 ग्राम अवैध स्मैक/हेरोईन (Diacetylmorphine)की बरामदगी हुई है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेख किया गया है कि अभियुक्त जमानत का दुरूपयोग कर सकता है तथा उसके फरार होने की सम्भावना है।

5. इस संबंध में मेरे द्वारा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता सुश्री लता राना तथा राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी श्री मनोज शर्मा के तर्क को सुना गया तथा पुलिस प्रपत्रों का परिशीलन किया गया।

6. अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 15.08.2022 समय 18.45 बजे स्थान नई बस्ती पुल, दून यूनिवर्सिटी रोड, से पुलिस टीम द्वारा शक सन्देह होने पर अभियुक्त को पकडा गया तथा उसकी जामातलाशी ली गयी तो प्रार्थी/अभियुक्त के पास से 6.6 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। इस बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध मुकदमा अपराध सं0–276/2022 अंतर्गत धारा– 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट दर्ज करके विवेचना अग्रसारित की जा रही है।

7. वर्तमान मामले में अभियुक्त से 6.6 ग्राम अवैध स्मैक की बरामदगी दर्शित की गयी है, वह न्यून मात्रा 5 ग्राम से कुछ ही अधिक है परन्तु वाणिज्यक मात्रा से काफी कम है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नही बताया गया है और उसकी उम्र 22वर्ष है। अभियुक्त से बरामदगी के समय जनता के किसी स्वतंत्र साक्षी को सम्मिलित नहीं किया है एवं अभियुक्त दिनांक 16.08.2022 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

8. अतः मामले के गुणदोष पर टिप्पणी किये बिना अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

9. अभियुक्त **फिरोज** का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु0 35,000/–रू0[पैंतीस हजार रू0] का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा इसी धनराशि के दो सत्यापित एवं विश्वसनीय जमानतें, प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

(मनोज गर्ब्याल)
विशेष न्यायाधीश
एन.डी.पी.एस.एक्ट,
देहरादून।